भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 561 का उत्तर

आंध्र प्रदेश के लिए किसान रेल

561. श्री केसिनेनी शिवनाथ:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों के परामर्श से विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य हेतु सब्जियों, फलों और अन्य नाशवान वस्तुओं के परिवहन के लिए किसान रेल के लिए संभावित सर्किटों को चिह्नित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो आंध्र प्रदेश राज्य में संभावित रूप से पहचान किए गए सर्किटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सर्किटों के लिए परिचालन और वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इनमें से किसी भी सर्किट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों के कृषि/पशुपालन/मत्स्यपालन विभागों और स्थानीय निकायों तथा एजेंसियों, मंडियों आदि के परामर्श से सब्जियों, फलों और

अन्य नश्यवान पण्यों को भेजने के लिए संभावित सर्किटों की पहचान की जाती है तथा परिचालनिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए मांग के आधार पर लागू दर सूची पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

दिनांक 7 अगस्त 2020 को किसान रेल सेवा के शुरू होने के बाद से, देश भर में कुल 2,364 किसान रेल सेवाएँ परिचालित की जा चुकी हैं, जिनसे लगभग 7.9 लाख टन नश्यवान पण्यों का परिवहन किया जा चुका है और लगभग 318.68 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। आंध्र प्रदेश से असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और त्रिपुरा की ओर 116 सेवाएँ परिचालित की गईं, जिसमें केले, आम, प्याज आदि सहित नश्यवान पण्यों की 34,196 टन खेप का परिवहन किया गया है।

*****